विकास, अध्ययन और शोध के लिए भारतीय नागरिक ही डाउनलोड कर सकेंगे नक्शे

आधार से ही देश का नक्शा डाउनलोड होगा

देहरादून | शैलेन्द्र सेमवाल

'सर्वे ऑफ इंडिया' ने देश का नक्शा डाउनलोड करने के लिए आधार नम्बर अनिवार्य कर दिया है। ओपन सीरीज के टोपोग्राफी श्रेणी के 4300 नक्शों में से कोई भी नक्शा डाउनलोड करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना आधार नम्बर बताना होगा।

नक्शों को पाने के लिए आधार नम्बर बताने का यह अर्थ है कि इसे देश का नागरिक ही डाउनलोड कर सकेगा, कोई विदेशी नहीं। सर्वे ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय मानचित्रण नीति के तहत 1:50 के स्केल पर खुली श्रृंखला के मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस पोर्टल पर करीब 4200 ओपन सीरीज के नक्शे अब तक जारी किए जा चुके हैं। जिसमें 3200 नक्शे निःशुल्क उपलब्ध हैं।

वेबसाइट पर दिए गए स्थान पर आधार नम्बर डालते ही, आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आएगा। इसे निर्धारित कॉलम में दर्ज करने के बाद ही आप वेबसाइट से नक्शे डाउनलोड कर पाएंगे। मानचित्र डाउनलोड करने से पहले आपको गोपनीयता नीति पर सहमति जतानी होगी।

> “ पोर्टल पर उपलब्ध नक्शों का दुरुपयोग न हो, इसके लिए नक्शा डाउनलोड करने से पहले आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नक्शों को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए भी किया गया है।
>
> –मेजर जनरल गिरीश कुमार, भारत के महासर्वेक्षक।

इन बातों का रखें ध्यान

- डाउनलोड करने के लिए संबंधित मानचित्र की शीट संख्या पता होनी चाहिए। यदि आपको ये संख्या पता नहीं है तो आप संबंधित राज्य, जिला व निकटवर्ती स्थान की सूचना दर्ज कर इच्छित मानचित्र पा सकते हैं।
- एक बार डाउनलोड किए गए मानचित्र खरीदे बेचे नहीं जा सकते।
- मानचित्रों का उपयोग विकासात्मक, अध्ययन और अनुसंधान और पर्यटन के लिए ही किया जा सकता है।

यहां से डाउनलोड होता है नक्शा

http://www.soinakshe.uk.gov.in/home.aspx